5/21/2000-डीजीएडी

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

दिनांक 28 अगस्त, 2000

<u>व्यापार नोटिस सं. 2/2000</u>

1. वर्ष 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 क तथा तत्संबंधी सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 के तहत गोपनीय सूचना से संबंधित नियम 7 की ओर व्यापार और उद्योग का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. सभी हितबद्ध पक्षकार गोपनीय मानी जाने वाली सूचना का, उसके इस प्रकार के निर्धारण का पर्याप्त औचित्य देते हुए विधिवत ब्यौरा प्रस्तुत करें। साथ ही वे गोपनीय सूचना का एक अगोपनीय पाठ प्रदान करें, जो विस्तार से पर्याप्त रूप से स्पष्ट हो और उसमें प्रस्तुत गोपनीय सूचना को दर्शाया गया हो ।

3. हितबद्ध पक्षकार गोपनीय मानी जाने वाली सूचना प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करेंगेः

    i. प्रदान की गई गोपनीय सूचना का विवरण (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या);
    ii. सूचना को गोपनीय मानने के लिए लिखित में अनुरोध और साथ में इसकी अनुमति के लिए औचित्य दर्शाते हुए स्पष्टीकरण;
    iii. उसका एक अगोपनीय पाठ (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या);
    iv. यदि अगोपनीय सूचना का सार नहीं दिया जा सकता है तो पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को कारण बताते हुए एक विवरण प्रस्तुत करेंगे कि क्यों इसका सार संभव नहीं है।

4. उपरोक्त अपेक्षाओं की पूर्ति हो जाने के बाद, निर्दिष्ट प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच के संबंध में अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं।

5. i) निर्दिष्ट प्राधिकारी के संतुष्ट हो जाने पर और दी गई सूचना की गोपनीयता की जरूरत को स्वीकार कर लिए जाने पर, वे ऐसे सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी भी पक्षकार को इसे प्रकट नहीं करेंगे।

   ii) यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध अकारण है अथवा सूचना को प्रदान करने वाला सूचना को सार्वजनिक करने के लिए या इसे सामान्य अथवा सार रूप में प्रकट करने के लिए अधिकृत करने के लिए इच्छुक नहीं है तो वे ऐसी सूचना की अपेक्षा कर सकते हैं।

हस्ता./
(सिद्धार्थ)
निदेशक
कृते निर्दिष्ट प्राधिकारी
फोन 301 4418

सेवा में : सभी संबंधित